

पंजाब राज्य और अन्य

बनाम

मैसर्स. संकेश्वर होजरी उद्योग

(सिविल अपील संख्या 1816/2008)

7 मार्च 2008

(एस.एच. कपाडिया और बी. सुदर्शन रेड्डी, जे.जे.)

पंजाब सामान्य बिक्री कर नियम, 1949 - नियम 29 (xii) - कर योग्य कुल बिक्री से कटौती - अनुमति - धारित : ऐसी कटौती की अनुमति है।

पंजाब राज्य और अन्य आदि आदि बनाम एम/एस. परफेक्ट सिंथेटिक्स आदि आदि - 2008 (4) एससीआर 582 - पर निर्भर।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2008 की सिविल अपील संख्या 1816

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के सी.डब्ल्यू.पी. नंबर 12760/2006 में निर्णय और आदेश दिनांक 18.8.2006 से।

उपस्थित पक्षकारों की ओर से महाबीर सिंह, एस. गणेश, दलीप सिंह बरार, अजय पाल, निखिल जैन, एस.पी. सिंह चौहान, संजय जैन, अशोक कुमार सिंह, सुरेंद्र दत्त शर्मा, नरेश कुमार गौड़, एस.बी. मेतेई, सीराज बग्गा, एस. बग्गा और एम.पी. देवनाथ।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा सुनाया गया

कपाडिया, जे.

अनुमति प्रदान की गई ।

पंजाब राज्य और अन्य आदि आदि बनाम एम/एस. परफेक्ट सिंथेटिक्स आदि आदि - 2008 की सिविल अपील संख्या 1072 के मामले में हमारे निर्णय को ध्यान में रखते हुए सिविल अपील को बिना किसी खर्चे के आदेश के साथ खारिज की जाती है।

के.के.टी.

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नगेंद्र मीना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।